9-5-17 फाजली राजाब लोकजयानन्द कैम्प दांथला में पैदा हुई। निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर शामिल फाइल किया गया, फाजली फुटकल शुमार होकर नम्बर से कम की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, केम्प–दांथल
पीठासीन अधिकारी – राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 61/17

उनवान

1. श्री घीसू लाल पिता श्री प्रभूलाल ब्राहम्ण निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुवालाल पिता बलदेव जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री गोतम पिता माधु शर्मा निवासी ब्रहम्पुरी तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री जगदीश पिता माधु शर्मा निवासी ब्रहम्पुरी तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्रीमति गंगा पत्नी माधु शर्मा निवासी ब्रहम्पुरी तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्री सुनिल पिता नन्दराम महाजन निवासी बडे मन्दिर के पास भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128
राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 09.05.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गोविन्दसिंह जी का खेडा, प0ह0–दांथल, भू.अ.नि.क्षैत्र–दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 39 रकबा 18 बिस्वा, आराजी सं0 40 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 15.03.2017 को पंजीबद्व किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 05 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गयी । अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होन का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील व जिला भीलवाडा के ग्राम गोविन्दसिंह जी का खेडा, प0ह0 दांथल में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमी आराजी नम्बर 39 रकबा 18 बिस्वा, आराजी सं0 40 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी मे फसल कट जाने के पश्चात् 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवें। । प्रार्थी इस कार्य के लिए तहसील भीलवाडा में रूपये 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में जमा करायेंगें एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिशनर फीस 500/– अक्षरे पॉच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा,खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा